दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 27-08-2025

जवाब दोहराया • हाई कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने दिया था शपथ पत्र, मामले में अगली सुनवाई 9 सितंबर को

प्रदेश में 328 एम्बुलेंस, सभी में 36 तरह की दवाएं, 298 बेसिक लाइफ सपोर्ट

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

प्रदेश में चल रही एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने हलफनामा देकर बताया था कि राज्य में कुल 328 एम्बुलेंस संचालित हैं, जिनमें 298 बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) और 30 एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस शामिल हैं। मंगलवार को यही बात दोहराई गई।

हाई कोर्ट ने राज्य में चल रही 108 संजीवनी एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति को लेकर प्रकाशित खबर पर संज्ञान लिया था। खबर के अनुसार जिले में चल रही 15 एम्बुलेंस जर्जर हालत में सड़कों पर दौड़ रही हैं। रखरखाव नहीं हो रहा। स्वास्थ्य और परिवहन विभाग न तो फिटनेस जांच कर रहा है और न ही नियमित निरीक्षण हो रहा। 2019 से चल रही कई एम्बुलेंस में फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं हैं। सीटें फटी हुई हैं और कुछ में तो मीटर भी काम नहीं कर रहे। नियम के अनुसार, 3 लाख किमी से अधिक चल चुकी गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए, लेकिन कई एम्बुलेंस अब भी मरीजों को ढो रही हैं। इतना ही नहीं, कई बार इनमें एक्सपायरी डेट की दवाइयां भी पाई जाती हैं। हाई कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य सचिव से शपथ पत्र मांगा था। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को रखी गई है।

कहा था- एम्बुलेंस में 36 प्रकार की दवाइयां और 54 उपकरण

शपथ पत्र में बताया कि 108 संजीवनी एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह निशुल्क हैं। बीएलएस एम्बुलेंस में सक्शन पंप, लैरींगोस्कोप, ऑक्सीजन सिलेंडर, ब्रीदिंग यूनिट, स्ट्रेचर, बीपी उपकरण, स्टेथेस्कोप समेत 36 प्रकार की दवाइयां और 54 प्रकार के उपकरण होते हैं। वहीं, एएलएस एम्बुलेंस में इन सभी उपकरणों के साथ डिफिब्रिलेटर, कार्डियक मॉनिटर, सिरिंज पंप और ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर जैसी एडवांस सुविधाएं भी मौजूद हैं। यह भी बताया गया कि मरीजों को पास के सरकारी अस्पताल तक तक सुरक्षित पहुंचाने और रास्ते में उपचार देने के लिए इनका नियमित उपयोग हो रहा है।